

Letter of Sanctioned Posts

2014-15



Patpanhale Education Society's
PATPANHALE ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE

A.p. : PATPANHALE - Shringartali, Tal. Guhagar, Dist. Ratnagiri. - 415 724. (M.S.)

☎ : (02359) 244528, 244522

E-mail : scp523@yahoo.in Website : www.patpanhalecollege.in


NAAC Re-accredited with ' B ' Grade

(Permanently Affiliated to Mumbai University)

Number of Sanctioned Posts

| Year | Sr. No. | Name of the Full time Teacher | Designation | PAN | No. of Sanctioned Posts | Year of Appointment | Total Experience (Yrs) |
|---------|---------|-------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| 2014-15 | 1 | Dr. Raosaheb G. Jadhav | Principal | AAVPJ0152B | 1 | 1985 | 30 |
| | 2 | Mr. Lankesh M. Gajbhiye | Assistant Professor | AIYPG3172D | 1 | 2002 | 12 |
| | 3 | Dr. Subhash S. Khot | Associate Professor | AOVPK6429G | 1 | 2002 | 12 |
| | 4 | Dr. Krishnaji R. Shindhe | Assistant Professor | AOQPS7904D | 1 | 2004 | 10 |
| | 5 | Dr. Dinesh Y. Parkhe | Assistant Professor | AGEPP9707B | 1 | 1997 | 18 |
| | 6 | Dr. Pravin T. Sanaye | Assistant Professor | ADEPS3766Q | 1 | 1997 | 18 |
| | 7 | Mr. Pramod A. Desai | Assistant Professor | AAVPD6926F | 1 | 1996 | 19 |
| | 8 | Mr. Prasad S. Bhagwat | Assistant Professor | ABAPB0524B | 1 | 1996 | 19 |
| | 9 | Mr. Jalindar S. Jadhav | Assistant Professor | ADAPJ0844N | 1 | 1998 | 16 |
| | 10 | Mr. Dhananjay D. Gurav | Librarian | AFXPG7742M | 1 | 2013 | 1 |
| | 11 | | Assistant Professor in English | NA | 1 | NA | NA |




(Dr. R. G. Jadhav)

Principal
Patpanhale Education Society's
Patpanhale Arts, Commerce & Science College,
Patpanhale, Tal. Guhagar, Dist. Ratnagiri (M.S.)

महाराष्ट्र शासन

सहसंचालक

उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल

शासकीय अध्यापक महाविद्यालय परिसर, पनवेल, जि.रायगड - ४१० २०६.

ई-मेल:- jdhekv@rediffmail.com/jtdire.1910@gmail.com

दूरध्वनी /फॅक्स क्र. ०२२/ २७४५३८२०.

क्र.सहसं/उशि/कोविप/पदमान्यता/२०११-१२/चिपळूण कॅम्प/RT-५

दिनांक : २८-०८-२०१२

प्रति,

प्राचार्य,

वरिष्ठ महाविद्यालय पाटपन्हाळे

शृंगारतळी, ता. गुहागर, जि.रत्नागिरी.

विषय :- विषय निहाय शिक्षक व विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षकेतर पद मान्यता (२०११-१२).

- संदर्भ :-
१. शासन निर्णय क्र. यु.एस.सी / ११७८ / २५२५१/ रोमन-३२ सेल, दिनांक १९/०६/१९७८
 २. शासन निर्णय क्र. एनजीसी/२०८०/१६०२८४/५९८७/ युजीएफ -२, दिनांक ०१/०६/१९८१.
 ३. शासन निर्णय क्र. एनजीसी/१२८६/१२२४ / युजीएफ -४, दिनांक २७/०२/१९८९.
 ४. शासन निर्णय क्र. बीजीटी/१०९७/प्र.क्र. २४/ अ/अर्थसंकल्प-१९, दिनांक १५/१२/१९९८.
 ५. शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२२९९/(४७९५)/विशि.४, दिनांक २६/०८/१९९९.
 ६. शासन निर्णय क्र. असंक-१००१, प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०/०९/२००१
 ७. शासन निर्णय क्र. असंक-१००१, प्र.क्र.२९/(भाग-३)/२००२/वित्तीय सुधारणा, दिनांक ०९/०१/२००३.
 ८. शासन निर्णय क्र. असंक-१००१, प्र.क्र.२९/(भाग-६)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०१/०७/२००४.
 ९. शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२००७/प्र.क्र.१२९/०७/१२, दिनांक २७/०८/२००७.
 १०. शासन परिपत्रक क्र. एनजीसी-२०१०/(४१५/१०)/विशि.१, दिनांक ०७/०९/२०११.
 ११. शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०११/(४०४/११)/विशि.१, दिनांक १९/१०/२०११.

महोदय/ महोदया,

आपले पत्र क्र. ३७२/२०१२-१३ दि. २८-०८-२०१२ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील कार्यभार फक्त अनुदान तत्वावरील मान्य विषय, तुकड्या, अभ्यासक्रम, विद्याशाखा आणि विद्यार्थी संख्या कळविलेली आहे, असे गृहित धरून पडताळणी केली आहे. आपण सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार अनुदानित तुकड्यांची माहिती खालीलप्रमाणे.

| विद्याशाखा | मंजूर तुकड्यांची संख्या | | | | विद्यार्थी संख्या | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| | अनुदानित तुकड्या | पैकी चालू तुकड्या | विनाअनु. तुकड्या | एकूण ३+४ | अनुदानित | विनाअनु. | एकूण ६+७ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १. बी.ए.-१ | १ | १ | - | १ | ५४ | - | ५४ |
| बी.ए.-२ | १ | १ | - | १ | ४६ | - | ४६ |
| बी.ए.-३ | १ | १ | - | १ | ६४ | - | ६४ |
| एकूण | ३ | ३ | - | ३ | १६४ | - | १६४ |
| २. बी.कॉम.-१ | १ | १ | - | १ | ९६ | - | ९६ |
| बी.कॉम.-२ | १ | १ | - | १ | १०९ | - | १०९ |
| बी.कॉम.-३ | १ | १ | - | १ | ६७ | - | ६७ |
| एकूण | ३ | ३ | - | ३ | २६४ | - | २६४ |
| ३. बी.एससी.-१ | - | - | - | - | - | - | - |
| बी.एससी.-२ | - | - | - | - | - | - | - |
| बी.एससी.-३ | - | - | - | - | - | - | - |
| एकूण | - | - | - | - | - | - | - |
| एकत्रित एकूण १+२+३ | ६ | ६ | - | ६ | ४२८ | - | ४२८ |

संदर्भाधीन शासन निर्णय व संचालनालयाकडील पत्र आणि त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या पत्रामध्ये विहित केलेल्या कार्यभारानुसार संबंधीत विषयाच्या पुढे नमूद असणा-या कार्यभाराप्रमाणे आपल्या महाविद्यालयास खालीलप्रमाणे शिक्षक संवर्गातील पदांना मान्यता देण्यात येत आहे.

| अ. नं. | विषय | १९९८-९९ ची मंजूर पदे | २००७-०८ ची मंजूर पदे | २०११-१२ चा एकूण कार्यभार | २०११-१२ ची मंजूर पदे | सध्या भरलेली पदे | रिक्त पदे | वाढीव पदसंख्या | शेरा |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|
| १ | इंग्रजी | १ | १ | १६ | १ | - | ०१ | - | १० C.S.-५+ B.C.-७+ Adv.-४=१६ |
| २ | मराठी | ०१+ CHB | ०१+ CHB | २५ | ०१FT+ CHB | ०१FT+ CHB | - | - | - |
| ३ | हिंदी | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ४ | संस्कृत/सिंधी/पाली | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ५ | पश्चिम/ जर्मन | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ६ | उर्दू/इस्लामिक स्टडीज | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ७ | इतिहास | १ | १ | २१ | १ | १ | - | - | - |
| ८ | अर्थशास्त्र | १ | ०२+ ०१(Principal) | ३०*+ १२(FC)=४२ | ०१ FT+ CHB ०१(Principal) | ०२+ ०१(Principal) | - | - | ०१ FT Protected |
| ९ | राज्यशास्त्र | १ | १ | २१ | १ | १ | - | - | - |
| १० | तत्वज्ञान | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ११ | भूगोल | - | - | - | - | - | - | - | - |
| १२ | मानसशास्त्र | - | - | - | - | - | - | - | - |
| १३ | समाजशास्त्र | - | - | - | - | - | - | - | - |
| १४ | रसायनशास्त्र | - | - | - | - | - | - | - | - |
| १५ | पदार्थविज्ञान | - | - | - | - | - | - | - | - |
| १६ | वनस्पतीशास्त्र | - | - | - | - | - | - | - | - |
| १७ | प्राणीशास्त्र | - | - | - | - | - | - | - | - |
| १८ | सूक्ष्म जीवशास्त्र | - | - | - | - | - | - | - | - |
| १९ | जीवसायनाशास्त्र | - | - | - | - | - | - | - | - |
| २० | जीवशास्त्र | - | - | - | - | - | - | - | - |
| २१ | संगणकशास्त्र | - | - | - | - | - | - | - | - |
| २२ | वाणिज्य | - | १ | १८**+४ B.L.=२२ | १ | १ | - | - | B.L.-४ |
| २३ | लेखाशास्त्र | - | १ | १९ | १ | १ | - | - | - |
| २४ | संख्याशास्त्र | - | - | - | - | - | - | - | - |
| २५ | गणित | - | १ CHB | ०९ | १ CHB | १ CHB | - | - | - |
| २६ | बीझनेस इकोनॉमिक्स | - | - | - | - | - | - | - | - |
| २७ | बीझनेस लॉ | - | - | ०४** | - | - | - | - | - |
| २८ | पर्यावरण शास्त्र | - | ०१ CHB | ०४ | ०१ CHB | ०१ CHB | - | - | - |
| २९ | ग्रामीण विकास | १ | १ | २१ | १ | १ | - | - | - |
| ३० | पायाभूत अभ्यास | १ | - | १२* | - | - | - | - | Eco-३० |
| ३१ | शा.शि.संचालक | - | - | - | - | - | - | - | - |

● नवीन पदे या कार्यालयाच्या मंजूरीशिवाय भरण्यात येवू नयेत.


| | मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे |
|-----------------------|-----------|------------|------------|
| प्राचार्य | १ | १ | - |
| पूर्णवेळ शिक्षक | | | |
| १) सहाय्यक प्राध्यापक | ८ | ८ | १F.T.(Eng) |
| २) सहयोगी प्राध्यापक | - | - | - |
| ३) प्राध्यापक | - | - | - |
| एकूण | ९ | ९ | १ |
| ४) ग्रंथपाल | १ | १ | ० |
| ५) शा.शि.संचालक | - | - | - |
| ६) अर्धवेळ | - | - | - |
| ७) तासिका | ३ | ३ | - |
| एकूण | १०+३=१३ | १०+३=१३ | १ |

कार्यभारानुसार मंजूर पदांच्या मर्यादेत आपल्या महाविद्यालयास वरील प्रमाणे जादा पदे / पूर्वीची पदे खालील अटींच्या अधिन राहून या कार्यालयाची अनुमती कळविण्यात येत आहे.

१. आपल्या महाविद्यालयातील आपण संदर्भाधीन प्रस्तावामध्ये नमूद केलेला वर्ग / तुकड्या / विषय निहाय विद्यार्थी संख्या ही प्रत्यक्षात पटावर असणे आवश्यक आहे.
२. व्याख्याने / प्रात्यक्षिके / टयुटोरियल (पाठ निर्देशन) प्रोजेक्ट वर्क (प्रकल्प कार्य) या करिता नमूद असणा-या तासिका शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार असणे जरूरीचे आहे.
३. प्रात्यक्षिकांकरिता विज्ञान शाखातील प्रथम वर्ष ते तृतीय वर्ष विज्ञान वर्गाकरिता असणारा गट (बॅच) किमान १५ व २० याप्रमाणे संख्या असावी.
४. विषय निहाय दाखविलेल्या तासिका प्रत्यक्षात वेळापत्रकामध्ये असणे आवश्यक आहे. १२ तासिका किंवा त्यापुढील तासिका असणा-या व १८/२० तासिकापर्यंत कार्यभार अपूरा असणा-या सहाय्यक / सहयोगी प्राध्यापकांना कमी पडणारा कार्यभार कनिष्ठ / विनाअनुदान / त्याच वर्गावरील जादा विषयाचा जादा कार्यभार घेणे आवश्यक आहे.
५. सदर पदावरील नियुक्त्या प्रचलित असलेल्या शासनाच्या सर्व संबंधीत नियमानुसार करण्यात याव्यात.
६. विषयाची / विद्याशाखेची / तुकडीची किमान विद्यार्थी संख्या शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या प्रचलित नियमानुसार असावी.
७. सर्व संबंधीत विषय / तुकडीची १००% अनुदान पात्र ठरविलेल्या बाबतचे शासन आदेश महाविद्यालयाकडे उपलब्ध असणे अपरिहार्य आहे.
८. पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थी संख्येत घट होण्यामुळे तसेच अन्य कारणामुळे अनुदानपात्र कार्यभार कमी झाल्यास त्यानुसार शिक्षक पदांची संख्या कमी करण्यात येईल.
९. नवीन पदावरील नियुक्ती करण्यापूर्वी अतिरिक्त शिक्षकांची यादी शिक्षण संचलनालयाचे स्तरावरून प्राप्त करून घ्यावी.

शासन निर्णय दि. १३/०२/२००० व दि. १६/०६/२००० नुसार पात्र नसलेल्या (NET/SET) परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या, तसेच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची भरती करण्यास बंदी आहे. अशा नेमणूका तासिका तत्वावर गणल्या जातील. तासिका तत्वावरील एका शिक्षकास ७ तासिकेपेक्षा जास्त तासिका देवू नयेत, दिल्यास तो अनुदानास अमान्य करण्यात येईल.

सदर पदावरील नियुक्त्यांमुळे झालेला वेतन व भत्त्यावरील खर्च संबंधीत आर्थिक वर्षाचे अनुदान निर्धारण समयी उपरोक्त अटींची पूर्तता होत असल्यास या कार्यालयाकडून अनुदानाकरिता मान्य ठरविण्यात येईल. अन्यथा ते अमान्य झाल्यास त्यास सर्व आर्थिक जबाबदारी महाविद्यालय / संस्था यांची राहिल.


विभागीय सहसंचालक,
उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल

प्रति,
प्राचार्य,
वरिष्ठ महाविद्यालय पाटपन्हाळे
शुंगारतळी, ता. गुहागर, जि.रत्नागिरी.

विषय :- शिक्षकेतर पदमान्यता २०११-१२

संदर्भ :- आपले पत्र क्रमांक ३७२/२०१२-१३ दिनांक . २८-०८-२०१२.

शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२२९९ / (४७९५) / विशि.४, दिनांक २६/०८/१९९९ मध्ये सुचित केल्याप्रमाणे महाविद्यालयाचे अनुदान तत्वावरील विद्याशाखा व तुकडीची विद्यार्थीसंख्या आहे असे गृहित धरून खालीलप्रमाणे शिक्षकेतर पदे मंजूर करण्यात येत आहेत.

| | विद्याशाखा | | | | फक्त विज्ञान विद्याशाखा | |
|--------------------|------------|---------|-------------------|---------|-------------------------|-------------------|
| | अनुदानित | | कायम विनाअनुदानित | | अनुदानित | कायम विनाअनुदानित |
| | कला | वाणिज्य | कला | वाणिज्य | | |
| वरिष्ठ महाविद्यालय | १६४ | २६४ | - | - | - | - |
| कनिष्ठ महाविद्यालय | - | - | - | - | - | - |
| एकूण | १६४ | २६४ | - | - | - | - |

| अ | कार्यालय | १८-१९ मधील अनुज्ञेय पदे | २००७-०८ मंजूर पदे | २०११-१२ मंजूर पदे | २०११-१२ भरलेली पदे | २०११-१२ रिक्त पदे | नवीन वाढीव पदे | शेरा |
|----|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|------|
| १ | प्रबंधक | - | - | - | - | - | - | - |
| २ | लेखापाल | - | - | - | - | - | - | - |
| ३ | अधिक्षक | - | - | - | - | - | - | - |
| ४ | मुख्य लिपीक | १ | १ | १ | १ | - | - | - |
| ५ | वरिष्ठ लिपीक | १ | १ | १ | १ | - | - | - |
| ६ | कनिष्ठ लिपीक | १ | १ | २ | १ | - | - | - |
| ७ | लघुलेखक (कनिष्ठ/वरिष्ठ) | - | - | - | - | - | - | - |
| ८ | शिपाई | ४ | ४ | ४ | ४ | - | - | - |
| ब | ग्रंथालय | | | | | | | |
| ९ | सहा. ग्रंथपाल | - | - | - | - | - | - | - |
| १० | ग्रंथालय लिपीक | - | - | - | - | - | - | - |
| ११ | ग्रंथालय परिचर | १ | १ | १ | १ | - | - | - |
| क | प्रयोगशाळा | | | | | | | |
| १२ | प्रयोगशाळा सहाय्यक | - | - | - | - | - | - | - |
| १३ | प्रयोगशाळा परिचर | - | - | - | - | - | - | - |
| | एकूण | ८ | ८ | ८ | ८ | - | - | - |


- वाढीव नवीन पदे/ रिक्त पदे या कार्यालयाच्या मंजूरीशिवाय (ना-हरकत प्रमाणपत्रा शिवाय) भरण्यात येवू नयेत.

वरीलप्रमाणे मंजूर आकृतीबंधामुळे वाढीव पदे १०० व ५० बिंदू नामावलीप्रमाणे (प्रमाणसंहिता-१९८४) /म.ना.से. चे व शासकीय नियमाचे पालन करून भरण्यात यावीत.

नवीन पदावर नियुक्ती करण्यापूर्वी महाराष्ट्र विद्यापीठिय कायदा १९९४ नुसार व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये अतिरिक्त शिक्षकेतर कर्मचा-यांची यादी प्राप्त करून घ्यावी किंवा संस्थेच्या स्तरावर अतिरिक्त ठरणा-या / ठरलेल्या शिक्षकेतर कर्मचा-यांना प्राधान्याने सामावून घेण्यात यावे. तसेच नियुक्ती केलेल्या कर्मचा-यांना या कार्यालयाची मान्यता / निश्चिती घेऊन वेतन अदा करण्यात यावे. त्यामुळे निर्धारण समयी वेतन अमान्य होणार नाही. विनाअनुदानित तुकडी मधील विद्यार्थी संख्येचा समावेश एकूण अनुदानित विद्यार्थी संख्येचे असल्याचे आढळून आल्यास किंवा विद्यार्थीसंख्या कमी झाल्यास वाढीव पदांचा आकृतीबंध रह समजण्यात येईल.

सेवानिवृत्ती /स्वेच्छा निवृत्ती /राजीनामा / मृत्यू अथवा विद्यार्थी संख्या वाढ इत्यादीमुळे वाढीव तथा रिक्त असलेली पदे भरण्यास बंदी असल्यामुळे अशा प्रकारची पदे या कार्यालयाच्या पूर्व परवानगी शिवाय भरण्यात येऊ नयेत अन्यथा त्यावरील खर्च अनुदानास पात्र धरण्यात येणार नाही.

शासनाने निर्धारित केलेले मागासवर्गीय / अपंग / स्वातंत्र्य सैनिक / महिला आरक्षण इ. घटकांसाठी विहित केलेले आरक्षण लक्षात घेऊन त्या त्या संघर्गातील आरक्षित / राखीव पदे नियमित भरण्याबाबत कटाक्षाने दक्षता घ्यावी व अनुपेक्षी नियमित पूर्ण करावा.


विभागीय सहसंचालक,
२५/९/१२